

संपादक की कलम से

उत्तर-दक्षिण की बातें व्यर्थ

आज काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। काशी गगद है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस समागम में नमो घाट पर 1400 तमिल भाषी विशिष्टजनों से भेंट करेंगे और उपस्थित महानुभावों को सम्बोधित करेंगे। अनेक दक्षिण भारतीय विद्वानों के लिए काशी वैदिक ज्ञान परम्परा का मुख्य केन्द्र रहा है। बेट, वेदांग और संस्कृत सहित ज्ञान दर्शन परम्परा का मुख्य क्षेत्र काशी भी रहा है। देश की विश्व वरेण्य संस्कृति का प्राचीनतम केन्द्र रहा है। संस्कृति के कारण हम प्राचीन राष्ट्र हैं। अनेक भाषाएं हैं। अनेक बोलियां हैं और तमाम क्षेत्रों में अलग अलग धरेलू रीति-रिवाज भी हैं। तमाम विविधाताओं के बावजूद भारत की सांस्कृतिक एकता बहुत गहरी है। लेकिन राष्ट्र को अखण्ड सत्ता न मानने वाले इक्का-दुवका राजनैतिक समूह राष्ट्रीय एकता पर प्रहर करते हैं। लोकसभा में हाल ही में एक माननीय सांसद ने उत्तर दक्षिण की विभाजक बातें कही। सदन की कार्यवाही से आपत्तिजनक अंश हटा दिए गए हैं। लेकिन समाचार माध्यमों में यह बतें प्रमुखता से छपी व प्रसारित हुईं। भारत वैदिक काल से ही संस्कृतिक राष्ट्र है। इसे उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम के कृत्रिम खांचों में देखना अनुचित है। वैदिक संस्कृति दर्शन का विकास सप्तसिन्धु में हुआ और इसे भारत के जन गण मन ने अपनी जीवन पद्धति का आधार माना। भारत एक छंडबद्ध कविता है। काव्य के प्रवाह में दिशाओं का कोई मतलब नहीं होता। भारत एक सुव्यवस्थित संगीत जैसी सास्त्रीय रचना है। इसमें सभी राग और रागिनियां हैं। ऋग्वेद में मंत्र को ऋचा बताया गया है। ऋषि के अनुसार ऋचाएं परमव्योम में रहती हैं और जाग्रत बोध वाले लोगों के हृदय में प्रवेश करने की अभिलाषा करती हैं। भारत परमव्योम आकाश से उतरी एक ऋचा है। विश्व लोककल्प्याण में तपत्र एक सार्वभौम जीवन दृष्टि है। भारत एक अनुराग है सृष्टि के सभी तत्वों के प्रति। विश्व कल्प्याण से प्रतिबद्ध एक प्रीति है। समस्त मानवता का सुख स्वस्ति और आनंद भारत का ध्येय है। भारतीय संस्कृति और दर्शन के विकास में देश के सभी क्षेत्रों का कर्मपत्र जुड़ा है। उत्तर-दक्षिण की बातें व्यर्थ हैं। सुब्रमण्य भारती प्रख्यात तमिल कवि थे। 1982 में उनकी जन्म शताब्दी थी। इस कार्यक्रम की आयोजन समिति ने भारती की कविताएं और गद्य नाम से कुछ रचनाओं का हिन्दी अनुवाद छपवाया था। इस संकलन की पहली कविता वर्दे मातरम् है। भारती इस कविता में कहते हैं, 'पराधीन जीवन पर लज्जित सारा भारत एक साथ है/हम सब यह सकल्प करेंगे/कभी नहीं परत्र रहेंगे/हम वर्दे मातरम् कहेंगे।' भौगोलिक दृष्टि से भारती दक्षिण के थे। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारती के हृदय में वर्दे मातरम् है। भारती की कविताओं में सप्तसिन्धु भी है और भूगोल की दृष्टि से यह उत्तर पश्चिम में है। तमिल कवि के सामने समूचा भारत रहता है। भारती के मन में गंगा के मैदान लहकते हैं। एक कविता में कहते हैं, 'खूब उपजता गेहूं गंगा के कछार में/ताम्बूल सरस कावेरी के कगार में।' भारती के मन में उत्तर की गंगा बहती है और दक्षिण की कावेरी भी। काशी की ज्ञान परम्परा के प्रति भी उनका रागात्मक लगाव है। वे धूर दक्षिण के कांचीपुरम में बैठकर काशी के विद्वानों का संवाद सुनें के लिए एक यंत्र की कल्पना करते हैं, 'ऐसे यंत्र बनेंगे/कांचीपुरम में बैठकर/काशी के विद्वत्जन का संवाद सुनेंगे।' भारती उपनिषदों के प्रेम में हैं और वेदों के भी। कहते हैं, 'मुख में वेदों का वास/हथ में तीक्ष्ण असि शोभित मंगलकारी।' वे दर्शन के तल पर अद्वैतादी जान पड़ते हैं। उनकी कविता और गद्य में योग साधना भी है। क्या अद्वैत दर्शन के विश्वसिद्ध व्याख्याता आचार्य शंकर को भी हम केवल दक्षिण का मान सकते हैं?

अशोक मधुप
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)



अतिरिक्त सुरक्षा देनी होगी ताकि
आगे से ऐसा न हो।

आतिरिक सुरक्षा देना होगा ताक आगे से ऐसा न हो। राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राज्य सरकारों के बीच विवाद नया नहीं हैं। मुख्यमंत्री और सरकार चाहती है कि वे राज्य को अपनी मर्जी से छलाएं। जो चाहें करें। राज्यपाल संविधान के अनुरूप कार्य करने को कहते हैं। अपने पद के मद मुख्यमंत्री ये बर्दाश्ट करने को तैयार नहीं होते की कोई उनके काम में अडंगा लगाए। यही टकराव का बड़ा कारण है। यदि मुख्यमंत्री ये समझ लें। अपनी सीमा जानलें तो कोई विरोध न हो। हालाकि कई जगह राज्यपाल भी मनमानी पर उतरें हैं। वह विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव स्वीकृति की प्रतीक्षा में कई-कई माह से रोके हैं। इस पर सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार नाराजगी जता चुका है। केरल सरकार द्वारा कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की गई। जब की इस नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल का है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवम्बर 2023 मुख्यमंत्री द्वारा की कन्नूर विश्व विद्यालय के राज्यपाल की नियुक्ति को अनाचार तथा अवैध दखल का दोषी करार दिया। कार्ट ने निर्णय में यहां तक कहा गया कि मुख्यमंत्री ने कानून का मजाक उड़ाया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जेबी पारदीवाला और मनाज मिश्रा समेत तीन जजों की खण्डपीठ ने कुलपति गोपीनाथ रवींद्रन की नियुक्ति को अवैध बताया तथा निरस्त कर दिया। निर्णय में कहा गया कि निर्देशानुसार राज्यपाल ही विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कभी कि राज्य शिक्षा मंत्री आर बिंदु का परामर्श कुलाधिपति अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में केरल राजभवन की वह विज्ञापि का भी उल्लेख किया जिसमें राज्यपाल ने लिखा : श्री रवींद्रन की नियुक्ति का निपटन स्वयं मुख्यमंत्री तथा उनकी उपरिके शिक्षा मंत्री श्रीमती आर बिंदु किया था। राज्यपाल आपने मोहम्मद खान ने कहा भी था कि पिनराई विजयन राजभवन आये और कन्नूर विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति का अनुचित है। बिंदु भी दो ढांचे लिखकर आग्रह कर चुकी अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अपने आपने में राज्य के अनुचित हस्तक्षेप आधार पर डा. गोपीनाथ रवींद्रन वीसी के रूप में फिर से नियुक्त करने वाली 23 नवम्बर, 2023 की अधिसूचना को रद्द कर दिया। अदालत ने कन्नूर विश्वविद्यालय की स्वायत्तता जोर देते हुए कहा कि कन्नूर विश्वविद्यालय अधिनियम 1996 और यूजीसी कानून संस्थान के राज्य सरकार के हस्तक्षेप से बचते के लिए बनाए गए थे। इसमें बात पर जोर दिया गया चांसलर, विश्वविद्यालय में प्रमुखत्वपूर्ण भूमिका रखता है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता वह अपनी विवेकाधीन शक्तियों प्रयोग में राज्य सरकार की सलाह से बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के द्वारा

राज्यपाल ने प्रदेश सरकार द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों में नियुक्त कुलपति की नियुक्ति भी निरस्त कर दी। इतना ही नहीं केरल उच्च न्यायालय ने भी केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज के कुलपति के रूप में डॉ रिजी जॉन की नियुक्ति को रद्द कर दिया। अदालत ने नियुक्ति को अवैध करार देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। यूजीसी शिक्षा मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जो देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के कामकाज की देखरेख करता है। लगता है कि केरल के मुख्यमंत्री और सत्ताधारी वामपंथी दल इस सब से नाराज है। विश्वविद्यालयों में उनके सदस्य कुलपति नहीं बन पा रहे, इससे वे गुस्से में हैं। वे इसके लिए राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खां को जिम्मेदार मानते हैं। उनका आरोप है कि राज्यपाल विश्वविद्यालयों का भगवाकरण कर रहे हैं। इसीका वह विरोध कर रहे हैं। राज्यपाल को काले झँडे दिखा रहे हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के काफिले पर राजधानी तिरुवनंतपुरम में कम्युनिस्ट छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के हमले के बारे में हमले से पहले राज्य खुफिया विभाग राज्यपाल ने तीन चेतावनियाँ जारी की थीं। ये चेतावनियाँ 24 घंटे के अंतराल में जारी की गई थी। इसमें काले झँडे वाले प्रदर्शन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ संभावित हमले की चेतावनी दी गई। यही नहीं, सोमवार 11 दिसंबर, 2023 दोपहर को जारी आखिरी रिपोर्ट में विरोध प्रदर्शन के संभावित जगहों का भी जिक्र किया गया। स्टेट इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि राज्यपाल को अतिरिक्त सुरक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। इसके अलावा, खुफिया

विभाग को पता चला कि राज्यपाल का ट्रैवल रूट शहर के पुलिस आयुक्त को गुत रखने के निर्देश दिए गए थे। खुफिया विभाग का दावा है कि पुलिस एसोसिएशन के लीडर ने इसे सोमवार सुबह एसएफआई (एसएफआई) को लीक कर दिया। पहली खुफिया रिपोर्ट में सोमवार को सिफारिश की गई कि राज्यपाल के लिए हवाई अड्डे तक जाने के लिए नियमित रास्ते के इतर एक और रास्ता भी तय किया जाना चाहिए। रविवार शाम को सिटी पुलिस कमिशनर ने इसे गुत रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों को वायरलेस सेंटर भेजा था। सोमवार सुबह दूसरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में विरोध तेज होने की तरफ भी इशारा किया गया था। दोपहर में दी गई तीसरी रिपोर्ट में खुफिया एंजेंसी ने यह भी बताया था कि पलायम अंडरप्राप्स और पेट्रा सहित तीन जगहों पर विरोध प्रदर्शन की संभावना है। इसके साथ ही यह सुझाव दिया गया कि राज्यपाल की सुरक्षा चाक-चौबंद रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाना चाहिए। खुफिया विभाग का कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने रिपोर्ट के मुताबिक न कोई सावधानी बरती और न ही अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए। इस प्रकरण में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की कार पर एसएफआई के कार्यकारियों के कथित हमले को लेकर मंगलवार को राज्य की एलडीएफ नीत सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कायुनिस्ट शासन में पुलिस सत्तारूढ़ दल की ज्यादितयों में सहभागी बनी हुई है। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद ने कहा, कम्युनिस्ट शासन के तहत पुलिस अराजकता की एंटेंट रही है, सत्तारूढ़ पार्टी की सबसे भीषण ज्यादितयों में शामिल रही है। उन्होंने राज्यपाल पर हमले की अनुमति दी, जबकि मुख्यमंत्री के खिलाफ शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शनकारियों के

साथ दुर्व्वाहर की शर्मनाक। केंद्रीय विवादी मुरलीधरन ने लगाते हुए कहा कि केरल में कानून तरह ध्वस्त हो गई है। उधर गवर्नर आरिफ ने सार्वजनिक तौर पर कि राज्य में कानून हालात खारब हो गया। आरिफ मुहम्मद खान नाराज हैं क्योंकि मुरलीधरन ने केरल उच्च न्यायालय एक हलफानामे में विवादों में बताए जाने वेष पर एक रिपोर्ट मार्गीन को यह कहते हुए कहना है कि, संविधानिक मशीनरी हो गया है। गवर्नर प्रदर्शन, हमलावारों व तक पहुंचना, गवर्नर रोकना और कार वे गंभीरतम मामला है। कहते हैं कि हमलावार गढ़ियों से आए उपरोक्त अपुलिस के वाहनों से भी सूचनाएँ हैं कि राज्य की जानकारी एसोसिएशन के प्रदर्शनकारियों वैकल्पिक मार्ग से उपर भी ध्यान नहीं दिया जाता कि विरोध के चाहिए कि पूर्ण गंभीरता से लै। मुहम्मद खान की रुक्कों के द्वारा इसके लिए नहीं देखा जाता है। यदि सरकार इनको रखने के नहीं देगी तो वह चोरी से इसलिए सरकार को इसके अतिरिक्त विभाग बनाकर बड़ा होगा। यह काम जितना आसान उठना है नहीं। सबसे पहले तो पर प्रतिबंध लगाना होगा। जब नहीं बढ़ेगी, तो यह खत्म हो खरीद-फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबंध बढ़ा उपाय हो सकता है। कानून उल्लंघन करने पर कड़ी सजा व कारगर हो सकता है।

(यह लेखक के निजी विचार है।)

लने में लगी रोप



संसद भवन की सुरक्षा में बदली

एक ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी पार्टी के दो नवाचारिचित मुख्यमंत्रियों- मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर रहे थे, उसी दैरान नए संसद भवन को चार लोगों ने अपने निशाने पर ले लिया। इन लोगों ने लोकसभा के भीतर रंगीन धुआं छोड़ दिया। लोकसभा में दर्शक दीर्घ से दो लोगों ने छलांग लगाकर साबित कर दिया कि देश की सबसे बड़ी पंचायत अब भी वैसी ही असुरक्षित है जिस प्रकार आज से ठीक 22 साल पहले थी जब इसी दिन पुराने भवन पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। संयोग से तब भी भाजपा की ही सरकार थी। हालांकि उस घटना और आज के घटनाक्रम के स्वरूप में बड़ा फर्क है लेकिन जो बात स्पष्ट तौर पर

साथ दुर्व्यवहार की अनुमति दी। शर्मनाक। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि केरल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। उधर गवर्नर आरिफ मुहम्मद खान ने सार्वजनिक तौर से एलान किया कि राज्य में कानून-व्यवस्था के हालात खराब हो गए हैं। राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने कहा, हवे नाराज हैं क्योंकि मुख्य सचिव द्वारा केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामे में वित्तीय स्थिति के बारे में बताए जाने के बाद, मैंने इस पर एक रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री को यह कहते हुए सुना गया कि सरकार को राज्यपाल द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। किसी सीएम ने कभी ऐसी बात नहीं कही। खान का कहना है कि, हक्केरल में, सर्वेधानिक मशीनरी का पतन शुरू हो गया है। गवर्नर के विरुद्ध प्रदर्शन, हमलावरों का उनकी कार तक पहुंचना, गवर्नर की कार रोकना और कार के शीशे पीटना गंभीरतम मामला है। गवर्नर यह भी कहते हैं कि हमलावर पुलिस की गाड़ियों से आए उनकी कार को रोका। उनके कार से उत्तरने पर पुलिस के वाहनों से भाग गए। यह भी सूचनाएं हैं कि राज्यपाल के रूट की जानकारी एक पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी से प्रदर्शनकारियों कैसे पहुंची। वैकल्पिक मार्ग से जाने की सलाह पर भी ध्यान नहीं दिया गया। केंद्र को चाहिए कि पूरे मामले का गंभीरता से ले। गवर्नर आरिफ मुहम्मद खान की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इस पूरे प्रकरण को केंद्रीय न्यायिक आयोग से जांच कराए। आयोग से एक माह में रिपोर्ट से और आयोग द्वारा दिए सुझाव पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। राज्यपाल की सुरक्षा की चूक के जिम्मेदार पर भी कठोर कार्रवाई हो।

है।)

देश में क्या खूबार डॉग्स को पालने में लगेगी रोक?

२८५



याचिका के अनुसार आमतौर पर पेट बुल एंड टेरियर्स अन्य कुक्तों से ज्यादा आक्रामक होते हैं। ऐसे कुक्तों को प्रतिरोधित करना और उनके पालन-पोषण के लाइसेंस को रद्द करना समय की मांग है। याचिका में दावा किया गया कि

लागा के हत म काम कर आर एस खतरनाक नस्लों के कुत्तों के काटने की किसी भी बड़ी घटना के जोखिम से नागरिकों के जीवन को बचाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करें। दरअसल ऐसे डॉग्स से मानव जीवन पर प्रहार हो रहा

है, उनसे दूसरों का तो खतरा हाता हो है, उनकी अपनी जान का भी खतना बना रहता है। स्ट्रीट डॉग से भी बाहरी लोगों का लगातार खतरा रहता है। कुत्तों की संख्या में लगातार वृद्धि होने से मानव जीवन पर संकट आ गया

शिवराज का एक और आग्नपरीक्षा

आवदन किये आर उन्ह इस योजना के तहत राशि देना शुरू किया गया था। प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बाद महिलाओं के खाते में सार्वतीकिष्ठ पहुँच गयी है, लेकिन आशंका जाताई जा रही है कि मोहन यादव सरकार इस योजना का या तो बंद करेगी या फिर इसके स्वरूप में परिवर्तन करेगी। योजना का नाम और नियम भी बदले जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री का नाम धारित होन के बाद आधिकारिक प्रदर्शन के लिए अपनी लाडलूंगा बहनों के बीच पहुँच गए थे, उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी है कमान उन्हें ही पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनाएगा। शिवराज सिंह व लोकप्रियता को दरकिनार करते हुए पार्टी कमान ने श्री मोहन यादव को मप्र का नवाचारी नियुक्त किया गया था।

साधिया कांग्रेस म रहत हुए किसानों को मुद्दे को लेकर उस समय की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बागी हो गए थे। किसानों के मुद्दे को लेकर ही सिंधिया और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ में तकरार शुरू हुई था। सिंधिया ने उस समय की अपनी ही पार्टी की सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि किसानों कि मार्गों की अनदेखी की गयी तो वे सड़कों पर उत्तर आएं। कमलनाथ ने जिलिया के अधीन उसे संचालित के उर्द्दे-

दुरुसाहस मा नहा [क] व पाटा नेतृत्व से इस
दुरुपयोग पर टकरा जाएँ।
लालडली बहना योजना के भविष्य को लेकर
उठायी जा रही आशंकाओं के बीच पूर्ण
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह गौहन की मजबूती
है मैन रहना, क्योंकि चार बार के मुख्यमंत्री
के रूप में भी वे 18 अप्रैल बेटों को राजनीति में
स्थापित नहीं कर पाए। वे यदि इस समय
गार्टी के मौजूदा नेतृत्व और निर्णय के
सिर्फ उनके लिए हैं तो उनके लिए

संसद मवन का सुरक्षा म बड़ा सध
एक और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उभरकर आई है वह यही कि

अपनी पार्टी के दो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्रियों- मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साया के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर रहे थे, उसी दौरान नए संसद भवन को चार लोगों ने अपने निशाने पर ले लिया। इन लोगों ने लोकसभा के भीतर रंगीन धुआं छोड़ दिया। लोकसभा में दर्शक दीर्घा से दो लोगों ने छलांग लगाकर साक्षित सुरक्षा अब भी एक बड़ा मुद्दा है। दोपहर करीब एक बजे आसंदी पर वरिष्ठ सदस्य राजेन्द्र अग्रवाल विराजमान थे और पश्चिम बंगाल के मालहदा के सांसद खरगेन मुर्म अपने सवाल पूछ रहे थे। तभी एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूद पड़ा और नारे लगाता हुआ एक से दूसरी बेंच पर छलांगें लगाने लगा। वह अपने जूते से रंगीन धुंआ छोड़ने वाला स्प्रे निकालने के

भाजा पां और शिवराज सिंह बाहन का स्थिति ऐसी हो गयी है कि तो को और, न मंड़ को ठौर अर्थात् दोनों का एक-टूसरे वेब बिना काम नहीं चल सकता। शिवराज न अपनी पार्टी से बगावत कर नई पार्टी बन सकते हैं और न ही दल-बदल कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उहाँ पार्टी हाईकमान जहाँ काम देगा वे वहीं काम करेंगे। विसंगति सिर्फ इतनी है कि समर्पण सिंह ने बैठक के बाद उन्हें बैठक

व त्रिशकु हो गए ह। व घर के र
के। मग्न में नेतृत्व कि दौड़ में पि

